

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **कम्प-सातड़ा**

पीठासीन अधिकारी : **श्री राहुल सेनी R.A.S.**

उपनाम

रणजीत

वनाम

राज. सरकार आदि

दावा कावत **नाम दुख्खी प्ल 88 RTA**

मुकदमा नम्बर : **90/2021**

निर्णय दिनांक **16-11-2021**

वादी की ओर से **स्वयं** की व प्रतिवादी की ओर से **पैरोबारा राज**
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **16-11-21** को **श्री राहुल सेनी** नाम पीठासीन
अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, **चूरु** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि **वादी द्वारा**

**प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 14 ग्राम सातड़ा में
वादी का नाम जीताराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर रणजीत पुत्र मूलाराम एवं
खाता सं० 16 ग्राम जसरासर में रणजीत कुमार पुत्र मूलाराम के स्थान पर
रणजीत पुत्र मूलाराम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलवार चूरु
उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद करें।**

दोनों पक्षकारों अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **16-11-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
दी गई।



राहुल सेनी
16/11/21
(राहुल सेनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तागील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तागील			
जोड़		जोड़	

वादी नाम **राहुल सेनी** **1883**
16/11/2021

प्रतिवादी नाम **राज. सरकार** **2138**
16/11/2021

